4/2/2182-2

— 4 —

संख्या-781 /33-3-2016-158/2015

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज
उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 18 मार्च, 2016

विषयः- राज्य स्तरीय पंचायत भवन एवं प्रशिक्षण केन्द्र अलीगंज, लखनऊ में पंचायतीराज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग (प्रिट) को स्थापित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3/231/3/2015-3/4/2014 दिनांक 30 अक्टूबर, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य स्तरीय पंचायत भवन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, अलीगंज, लखनऊ में पंचायतीराज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग (प्रिट) को स्थापित किए जाने हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही किए जाने हेतु अनुमति प्रदान की जाती हैः-

(1) पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 अर्थात पंचायतीराज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग, यू0पी0-पी.आर.आई.टी. (प्रिट.यू.पी.) का मेमोरेण्डम ऑफ ऐसोसिएशन का गठन किया जाएगा। (प्रति संलग्न)

(2) पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 अर्थात पंचायतीराज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग, यू0पी0-पी.आर.आई.टी.(प्रिट.यू.पी.) आर्टिकिल्स ऑफ ऐसोसिएशन का गठन किया जाएगा। (प्रति संलग्न)

(3) प्रिट के प्रबंध तन्त्र का गठन किया जाएगा। (प्रति संलग्न)

(4) प्रिट के प्रबंध तन्त्र (बी.ओ.एम.) की कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाएगा। (प्रति संलग्न)

(5) पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान का संचालन, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1860 के अन्तर्गत एक पंजीकृत स्वायत्त शासी संस्था के रूप में किया जाएगा।

कृपया उक्तानुसार प्रिट का गठन कराते हुए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1860 के अन्तर्गत पंजीकृत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः-यथोक्त।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

5037
संयुक्त निदेशक

निदेशक
2/3/16

खण्ड 3
2/3/16

परिशिष्ट - 3

प्रमाणपत्र कमांक 011921

प्रारूप –8

नियम 7(2) देखिये

संख्या /1283 दिनांक 05.05.2016

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र

पंजीकरण संख्या पत्रावली संख्या दिनांक

240 1–179340 2016-2017

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि * .... पंचायती राज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग, यू0पी0, पी0आर0आई0टी0 (प्रिंट, यू0पी0) अर्थात पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, लोहिया भवन, राज्य स्तरीय, पंचायत भवन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, अलीगंज, लखनऊ, पिन .... को उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृति के सम्बन्ध में यथासंशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण

अधिनियम 1860 के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है । यह

प्रमाण–पत्र 04-05-2021 तक विधि मान्य होगा ।

आज दिनांक 05 - 05 दो हजार 16 को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया ।

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

*सोसाइटी का नाम, पता

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1 रा0 फार्म एवं चिट्स- 21–11– 2014–(1373)- 2,00,000 प्रतियां (क0 / टी0 / ऑफसेट)।